न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 63 / 2020

आदर्श को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
शाखा आदर्श को-ओपरेटिव बैंक लि0,
कचहरी रोड, अजमेर-305001 (राज0)

.........प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

(1) श्री मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स प्रो श्री संदीप सिंह रावत पुत्र श्री हेम सिंह जी (ऋणी)
पता-गांव एव पोस्ट-हाथीखेडा, फॉयसागर रोड, अजमेर (राज.)
(2) श्रीमती रेणु देवी पत्नी श्री शंकर सिंह रावत जी (जमानती)
पता- 1280, प्रगति नगर, कोटरा, अजमेर (राज.)
(3) श्री लाल सिंह रावत पुत्र श्री मेवा सिंह जी (जमानती एवं सम्पति धारक)
पता- 618 / 11, तालाब की पाल के पास, खानपुरा, रावतो का मकान, वार्ड न0 13
खानपुरा, अजमेर (राज0)

....अप्रार्थीगण / ऋणी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिकसट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :- श्री अजय टाक प्राधिकृत अधिकारी

दिनाक 19.03.2020

आदेश

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण 01 को दिनांक 07.01.2017 व 10.01.2017 को क्रमश: रू. 4,00,000/- + 3,00,000/- (अक्षरे चार लाख मात्र) एवं रू. 3,00,000/- (अक्षरे तीन लाख मात्र) कुल ऋण रू 7,00,000/- (अक्षरे सात लाख मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर गाव खानपुरा तहसील एव जिला अजमेर (राज.) स्थित अचल सम्पत्ति, क्षेत्रफल 400.00 वर्ग यार्ड, जिसका पंजीयक उप पंजीयक कार्यालय अजमेर में बुक सं. 01, जिल्द स. 1002, क्रम स. 2837, पृष्ट न. 231 से 236 एवं अतिरिक्त बुक स. 01, जिल्द स 228, पृष्ठ न. 357 से 360 पर दिनांक 09.09.1982 को अमानुतुल्लाह खा श्री अत्ता महोम्मद मुमताज मोहम्मद मायनर पुत्र श्री सुलेमान खाजी माता पिता के माध्यम से श्री अमानुतुल्लाह खा के द्वारा अप्रार्थी सख्या 03 श्री लालसिह रावत पुत्र श्री मेवा सिंह रावत के पक्ष मे पंजीयन किया गया था। जिसकी चतुर्दशी : उत्तर में-श्री कालु पुत्र श्री मूला रावत का मकान, दक्षिण मे-मंदिर, पूर्व मे-श्री हरजी का घर, पश्चिम:-श्री भेरू एव श्री किशन का घर, है को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान मे व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनाक 31.07.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनाक 31.08.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये-3,19,013.75/-(अक्षरे तीन लाख उन्नीस हजार तेरह एव पिचहत्तर पैसे) एव रूपये-2,86,670/-(अक्षरे दो लाख छियासी हजार छ: सौ सत्तहर मात्र) कुल बकाया ऋण

(हस्ताक्षर)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

राशि रूपये-6,05,683.75/-(अक्षरे छः लाख पांच हजार छः सौ तिरयासी एवं पिचत्तर पैसे) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुनर्भुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद सम्भलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये प्राधिकृत अधिकारी प्रस्तुत किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी को सुना गया। प्राधिकृत अधिकारी प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु सक्षम अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाये।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पति गांव खानपुरा, तहसील एवं जिला अजमेर (राज.) स्थित अचल सम्पति, क्षेत्रफल 400.00 वर्ग यार्ड, जिसका पर्जीयक उप पंजीयक कार्यालय अजमेर में बुक स. 01, जिल्द स. 1092, कम.सं. 2837, पृष्ट न. 231 से 236 एवं अतिरिक्त बुक सं 01, जिल्द सं. 228, पृष्ठ नं. 357 से 360 पर दिनांक 09.09.1982 को अमानुतुल्लाह खा, श्री अत्ता मोहम्मद मुमताज मोहम्मद मायनर पुत्र श्री सुलेमान खाजी माता पिता के माध्यम से श्री अमानुतुल्लाह खा के द्वारा अप्रार्थी संख्या 03 श्री लालसिंह रावत पुत्र श्री मेवा सिंह रावत के पक्ष में पंजीयन किया गया था। जिसकी चतुर्दशी उत्तर में:-श्री कालु पुत्र श्री मूला रावत का मकान, दक्षिण में:-गोदर, पूर्व में:-श्री हरजी का घर, पश्चिम:-श्री भेरू एवं श्री किशन का घर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमो में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 19.03.2020 को सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर